राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2021–22/ दिनांक :

निदेशक
राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र,
दुर्गापुरा, जयपुर।

निदेशक,
(समेति), दुर्गापुरा,
जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार), खण्ड
बीकानेर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/
जयपुर/जालौर/जोधपुर/कोटा/
सीकर/उदयपुर/(तिलहन) भरतपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि, गुण नियंत्रण/वनस्पति बीज परीक्षण
प्रयोगशाला/ कीटनाशी अवशेष परीक्षण
प्रयोगशला/(शष्य)ज.उ.प्र./पौध व्याधि/ राज्य जैव
उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।

विषय : निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना भिजवाने बाबत।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6236–258 दिनांक 15.01.2021, 1789–1881 दिनांक 28.06.2021 एवं 3001–22 दिनांक 15.07.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि पूर्व में हुई ऑडिट कमेटी की बैठकों में श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, महोदय द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालना लम्बी अवधि से बकाया होने तथा प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने को गम्भीरता से लिया जा रहा है, साथ ही बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प आयोजन कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, जिसके क्रम में समय–समय पर पत्र एवं स्मरण पत्र लिखे जाते है किन्तु बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें नहीं भिजवायी जाने पर आक्षेपों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है। जो खेद जनक है।

अतः इस संबंध में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालनाऐं तथा जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है, की अनुपालनाऐं अपनी टिप्पणी सहित यथा समय सीधे ही निदेशक, निरीक्षण विभाग को भिजवाकर सूचनार्थ प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आप द्वारा बकाया आक्षेपों की अनुपालनाऐं समय पर नहीं भिजवाये जाने पर आप जिम्मेदार होगें तथा इस संबंध में उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जावेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

ह0

(रामचन्द्र मीना)
वरिष्ठ लेखाधिकारी, कृषि

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2021–22/ 285–320 दिनांक : 29-11-2021

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, कृषि विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कृषि (वि0)/कृषि अनुसंधान अधिकारी ....को प्रेषित कर लेख हैं कि भौतिक सत्यापन के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना अविलम्ब संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी, कृषि